न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 286/2012
प्रविष्टि दिनांक 09.1.2012

1–भँवरलाल पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी संथली तह0 देवली जिला–टोंक
2–राजूलाल पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी संथली तह0 देवली जिला–टोंक
3–कमला पुत्री श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी संथली तह0 देवली जिला–टोंक
4–हीरालाल पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी संथली तह0 देवली जिला–टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री पंवन कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री रामधन सेनी, श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 10–11–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम संथली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1574 में 400 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गै0 मु0 आबादी का निर्धारण किया गया है। जबकि प्रार्थी की भूमि एन0एच–12 पर स्थित भूमि में पक्का मकान, दुकानें व टीनशेड आदि बने होने से मुआवजा वर्ममान डीएलसी दर से कम दिया गया है एंव निर्माण 30 वर्ष पुराना बता कर निर्माण की वेल्यु 178538/रूपये निर्धारित की है। आवेदकगण द्वारा हरीश गोयल जो कि बी.ई.(सिविल) प्रोफेशनल ईन्जिनियर पेनल वेल्युअर द्वारा आवेदक के मकान को 15 वर्ष पुराना बताकर 273038/रूपये की वेल्यु बताई है। प्रार्थी का सम्पत्ति का मौके पर मौजूद निर्माण/संरचना उसकी वास्तविक उपयोगिता एंव वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार राशि का निर्धारण करवाया जाकर मुआवजा राशि दिलवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर [illegible] गई एवं अवार्ड प्रति दिनांक 21–2–2011 व 25–6–2010 तलब की गई। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:51:40 IST
Reason: SelfAttested

-739-

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 1574 में 400 वर्गमीटर ग्राम सन्थली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंटस प्रा0 लि0 जयपुर से सम्पत्ति का मूल्यांकन व सर्वे करवाया जाकर मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म गैर मुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड दिनांक 25–6–2010 व 21–2–2011 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1574 अवाप्त रकबा 400 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन आबादी का डी.एल. सी. दर से ग्राम संथली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी हरीश गोयल बी.ई.(सिविल) प्रोफेशनल ईन्जिनियर पेनल वेल्युअर की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण संरचनाओं से अधिक का मुआवजा चाहता है। जबकि समस्त प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मै0 अजीत सर्वे एण्ड कन्सल्टेंटस प्रा0 लि0 जयपुर से सम्पत्ति का मूल्यांकन व सर्वे करवाया जाकर मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। अवार्ड की राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 10–11–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर राजस्थान
सत्यमेव जयते

आरबीट्रेटर N.H.-12
जिला कलेक्टर
टोंक (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:40 IST
Reason: SelfAttested